13.36 hrs.

PRESS AND REGISTRATION OF BOOKS (AMENDMENT) BILL

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri C. R. Pattabhi Raman):

I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Press and Registration of Books Act, 1867, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The Government of India, as the House will remember, appointed a Press Commission in October, 1952, to enquire into the state of the Press in India, its present and future lines of development and other cognate matters and to make recommendations thereon. The Commission submitted its report in July, 1954. The Commission realised the lack of reliable statistics regarding newspapers and periodicals in the country and felt that no serious attempts were made to rectify the defective statistics or to make them uptodate. The Commission also found, in the course of their work, that, apart from the differences in practice in different States, there was a general laxity in the checking of the filing and the registration of books and periodicals. With a view to bringing about a radical change in the administration of the Press and Registration of Books Act, the Press Commission recommended the appointment of a Central Press Registrar for the collection and compilation of information relating to all newspapers and periodicals in the country. The Commission also observed that it should be the duty of the Press Registrar to bring out an annual report on the working of the Press on its organisational side giving the necessary statistics. In fact, this morning on my behalf the Annual Report was placed on the Table of the House; I was caught up elsewhere.

The Commission also recommended certain other amendments in the Press and Registration of Books Act. Accordingly the Press and Registration of Books Act was amended in 1955 Books Act is relatable to entry 39 of Newspapers for India came into existence in July, 1956.

However, the Press and Registration and the Office of the Registrar of the Concurrent List in the Seventh Schedule to the Constitution, namely, Newspapers, Books and Printing Presses. Under the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, which was issued in May, 1954, Parliament had no powers to make any laws in respect of the State of Jammu & Kashmir in regard to matters specified in entry 39 of the Concurrent List. Therefore, when the Press and Registration of Books Act was amended in 1955, the present section 22 of the Act was incorporated providing that the Act does not extend to the State of Jammu & Kashmir. It has not, therefore, been possible for the Registrar of Newspapers for India to collect information and statistics in respect of newspapers and periodicals in that State and consequently the Annual Report also does not contain any information in respect of those newspapers.

There is also the question of newsprint allocation. Newsprint is allocated by the Registrar of Newspapers for India to newspapers in the country on the basis of their size, average number of pages published, circulation and regularity of publication. These particulars are susceptible of being verified by the Press Registrar from the information submitted to him by the publishers of newspapers under the Press and Registration of Books Act. The figures of circulation claimed by newspapers are also checked, in doubtful cases, by the Circulation Officers under powers vested by section 19 F of the Act. But in respect of the State of Jammu & Kashmir, although newsprint is allocated by the Registrar of Newspapers for India on the basis of these particulars, it has not been possible for the Registrar to verify the particulars himself as he does not collect any information in respect of newspapers published in that State. At present, verification of particulars is done mostly through the State Government and their Director of Information.

It has been decided to extend the jurisdiction of the Registrar of Newspapers for India to the State of Jammu & Kashmir to enable him to collect and compile information and statistics relating to newspapers and periodicals in that State.

The Press and Registration of Books Act deals with the regulation of printing presses and newspapers, preservation of copies of books and newspapers printed in India and the registration of such books and newspapers. There is also the need for having a uniform law in these matters for the whole country including the State of Jammu & Kashmir.

The Government of Jammu & Kashmir accorded their concurrence, *inter alia*, to the application to their State of entry 39 of the Concurrent List and the Press and Registration of Books Act, 1867. The Constitution (Application to Jammu & Kashmir) Second Amendment Order, 1964, was issued *inter alia* making entry 39 of the Concurrent List applicable to the State of Jammu & Kashmir. It is now proposed to amend the Press and Registration of Books Act in order to make it applicable to the State of Jammu & Kashmir.

The Press and Registration of Books (Amendment) Bill, 1964, is a simple measure consisting of only four clauses. Clause (1) contains the short title and a commencement clause enabling the Central Government to bring it into force on such date as may be notified. Before notifying the date of commencement of the Act, we propose to consult the State Government although the Bill does not make a specific mention of it.

By clause (2) of the Bill it is proposed to omit the definition of 'India' in the Act as 'India' has been defined in section 3(28) of the General Clauses Act, 1897. The Press and Registration of Books Act, 1867, contains references to various Central laws, e.g., the Indian Majority Act, the Code of Criminal Procedure and the Indian Penal Code, which do not apply to the State of Jammu & Kashmir. The State has, however, corresponding laws on the subject. A rule of construction has, therefore, been inserted by clause 2(b) whereby references to those Central Acts will be construed as references to the corresponding law in force in the State. Besides, it has been decided in consultation with the Government of the State of Jammu and Kashmir that while there should be automatic protection in respect of the existing declarations made by the keepers of printing presses, and printers and publishers in the State of Jammu and Kashmir under the State Act, suitable provision should be made in the amending Bill to enable all of them to file new declarations under the Central Act within a stipulated period of two months from the commencement of the Central Act. This has been provided for in clause 3 of the Bill. This will give ample time of two months for the filing of new declarations and does not cause any undue hardship to people who are already there and who are doing that work.

Clause 4 of the Bill seeks to remove the words 'except the State of Jammu and Kashmir' in section 22 of the principal Act. This is the pivotal clause of the Bill under which the Press and Registration of Books Act, 1867, will, after the passing of the present Bill, be applicable to the State of Jammu and Kashmir also as contemplated.

By implication it will also repeal the Jammu and Kashmir State Press and Publications Act. S. 1989. The State Act contains some special provisions which are not in common with

[Shri C. R. Pattabhi Raman]

the Press and Registration of Books Act, 1867, as for example, sections 9 to 25, 33 to 42 of the State Act. It has been felt that the repeal or amendment of the State Act should be left to the State Legislature, and the Government of Jammu and Kashmir have been requested to take steps in this behalf, bearing in mind the provisions of article 254 of the Constitution.

Sir, I move that the Bill be taken into consideration.

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Press and Registration of Books Act, 1867, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.".

श्री तुलशीदास जाधव (नांदेड़) : इस बिल को सपोर्ट करते हुए कुछ सूचनायें मैं मन्त्री महोदय को देना चाहता हूं । प्रेस कमीशन की सिफारिश के आधार पर प्रेस रजिस्ट्रार फार इण्डिया का एप्वाइंटमेंट हुआ था । इस एप्वाइंटमेंट का जो उद्देश्य था, जो हेतु था वह यह था कि हिन्दुस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स और जो गांव हैं, और वहां से जो अखबार निकलते हैं, उनको सुविधा देने का ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न वह करें । कोई इरेग्युलैरिटी वे न करें और कानून के मुताबिक वे चलें और लोगों की जो समाचार पत्रों की मांग है, उसको वे पूरा करने में मदद दें, अखबारों की ताकत को बढ़ायें । उसके साथ साथ जो कानून बनाया गया है उस पर भी अमल प्रेस वाले और अखबार वाले करें । मैं देखता हूं जो छोटे छोटे गांवों से या डिसिट्रक्ट्स से अखबार चलते हैं, उन को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । हिन्दुस्तान में जो डेली पेपर छापे जाते हैं उन की संख्या 330 है और उनका जो सर्कुलेशन है वह 25 लाख कापीज का जा कर बैठता है । उन में अंग्रेजी के 41 और दूसरी लैंगुएजिज के 289 पेपर हैं । शहरों और देहातों के लोगों में कैसा उन का बटवारा होता है, कैसे उन को पढ़ा जाता है, उस को भी देखा जाना चाहिए । देहातों में 43 प्रतिशत ऐसे लोग हैं कि एक आदमी अखबार ले लेता है और उस के साथ दूसरे उस को पढ़ते हैं । वही बात शहरों में देखी जाए तो 33 प्रतिशत होती है । जो खुद लेते हैं और शेयर नहीं करते हैं देहातों में ऐसे लोगों की संख्या 40 प्रतिशत है और शहरों में वह 48 प्रतिशत है । देहातों के लोगों में अखबार लेने की ताकत बहुत कम होती है, उन में शक्ति बहुत कम होती है । उस का एक कारण यह भी है कि डिस्ट्रिक्ट प्लेस में छोटे छोटे जो अखबार होते हैं उन को जाहिरात में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है । पी० टी० आई० की जो रिपोर्टस् होती हैं या जो मशीन होती है वह भी लेना उन के लिए मुश्किल होता है । इसलिए अखबार मंहगा हो जाता है । जहां तक देहातों के अखबारों का सम्बन्ध है प्रेस रजिस्ट्रार को कोशिश करनी चाहिये कि वे सुगमता से निकल सकें । आजकल वह ऐसा करते हैं, यह नजर नहीं आता है । इस के विपरीत जब से उन का एप्वाइंटमेंट हुआ है तब से अखबार वालों को अनेक प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है । उन के दफ्तर में अखबार वालों द्वारा कापी भेजने में अगर कभी कोई गलती हो जाती है तो उन पर जुर्माना किया जाता है । दिल्ली की जो कोर्टस् हैं या दूसरी जगहों की जो कोर्टस् हैं वहां आप देखें तो आप को पता चलेगा कि उन के ऊपर पचास पचास और सौ सौ रूपया जुर्माना कर दिया जाता है । बड़े अखबार वालों का परसेंटेज अगर देखा जाए तो नहीं के बराबर है । उन पर कोई जुर्माने नहीं होते हैं । छोटे अखबार वालों पर ही ये होते हैं । इसका मतलब यही हो सकता है कि बड़े अखबार वालों के ज्यादा सम्बन्ध होते हैं और छोटे अखबार वालों के ज्यादा सम्बन्ध नहीं होते हैं । उन की ज्यादा पहुंच होती है, छोटे अखबार वालों

की ज्यादा पहुंच नहीं होती है। ज्यादा तकलीफ का सामना छोटे अखबार वालों को, देहातों और डिस्ट्रिक्ट प्लेसिस में करना पड़ता है। इस वास्ते देखा जाना चाहिये कि वे ठीक रीति से चलें वे ज्यादा चलें, वे ज्यादा बड़े हों, और उन को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिलें ।

अंग्रेजी पत्र जो निकलते हैं वे बड़े बड़े शहरों से ही निकलते हैं। देहातों में इन पत्रों की खपत नहीं है। जो देशी भाषा के पत्र हैं, जो प्रान्तीय भाषाओं के पत्र हैं वे ही वहां ज्यादा चलते हैं। वे ही वहां पढ़े जाते हैं। उन की ज्यादा मरमराहट हो तो प्रेस रजिस्ट्रार को उन की तरफ करुण दृष्टि से देखना चाहिये, ठीक रीति से उन की मदद करनी चाहिये ।

जहां तक कागज के कोटे का सम्बन्ध है, न्यूजप्रिंट का सम्बन्ध है वह भी उन को कम मिलता है। जो बड़े बड़े पेपर वाले लोग हैं उन को कोटा लेने में और कोटा मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप देखें कि हिन्दुस्तान में ओनरशिप का परसेंटेज क्या है। डालमिया का डेली पेपर्ज में बम्बई में 28 परसेंट पर ओनरशिप है। 28 परसेंट उन के बम्बई में पेपर हैं। पूना में 14 परसेंट हैं। अहमदाबाद में 9 परसेंट हैं। गोयनका के बम्बई में 15 परसेंट पेपर हैं, पूना में तीन और अहमदाबाद में दो परसेंट हैं। एक ही आदमी का जहां तक प्रश्न है या एक ही कम्पनी का जहां तक प्रश्न है, उन को कोटा मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। वे पेपर प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और उन को कोई असुविधा कोटा लेने में नहीं होती है। उनके अलग अलग दूसरे धंधे होते हैं और उस कारण से उन का अफसरों से भी रिश्ता हो जाता है और उन को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्टस से पेपर निकलते हैं या देहातों से निकलते हैं, न तो उन के पास कोई इश्तहारात ज्यादा आते हैं, न पढ़ने वाले देहातों के बहुत लोग होते हैं और उन को चलाना भी बहुत मुश्किल होता है। जो उन के रास्ते में कठिनाइयां आती हैं उन के कारण वे दो चार बरस तो चलते हैं और फिर बन्द हो जाते हैं। बन्द हो जाने से देहात के लोगों को जो इनफार्मेशन मिलनी चाहिये और रोजमर्रा की बातों का पता चलना चाहिये, वह पता नहीं चलता है। वे बड़े अखबार नहीं पढ़ते हैं। देहात के जो छोटे छोटे पेपर हैं, या डिस्ट्रिक्ट से जो छोटे छोटे पेपर निकलते हैं, उन को भरपूर कोटा मिलना चाहिये। उन के साथ कोई आनाकानी नहीं होनी चाहिये। मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि नांदेड़ शहर से गोदातीर समाचारपत्र निकलता है और शौलापुर शहर से शौलापुर समाचार निकलता है। उन को कागज की दिक्कत बहुत पड़ जाती है। इस के लिये वह भी लिखा पढ़ी करते हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में यह देखा जाता है कि उस का सर्कुलेशन कितना है। जो बड़े अखबार वाले होते हैं उन का सर्कुलेशन जितना होता है वह उस से भी ज्यादा फिगर्स दे सकते हैं। अगर उन की बात का पता लगाने के लिये कोई अफसर चला जाये तो उसी तरह से होता है जैसे कि कोई अफसर किसी बड़े डिपार्टमेंट में चला जाये, किसी बड़े खाते में चला जाये: वह अपने आप बात कर लेते हैं। उस में कोई सच्ची बात का पता नहीं लगा सकता है। लेकिन जो छोटे अखबार वाले होते हैं देहातों में या शहर में उन को बड़ी दिक्कत होती है। उन को कोटा नहीं मिलता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो छोटे छोटे अखबार वाले होते हैं उन की तरफ ज्यादा अच्छी रीति से देखा जाये, उन को सपोर्ट करने या मदद करने की दृष्टि से देखा जाये ।

14 hrs.

आज कल हर एक को थोड़ी बहुत अखबार की जरूरत होती है। मैं शोलापुर गया था वहां मैं ने देखा कि जब से पाकिस्तान और भारत का झगड़ा चला है उस के बारे

[श्री तुलशीदास जाधव]

में सुनने के लिये लोग अधीर रहते हैं। उस के लिये वह अखबार वाले के पास जाते हैं। अखबार वाले के पास पूरा कागज न होने से छोटे छोटे कागजों पर वह अपनी बात निकालते हैं और गांवों में उन का बटवारा करते हैं। अक्सर उन अखबारों का वही साइज होता है जो अपने इस बिल का साइज है इन छोट छोटे अखबारों की कीमत भी वह दस दस पैसे लेते हैं और लोग दे कर खरीदते हैं। इस के माने यह है कि देहात में छोटे लोग, गरीब लोग पढने के लिये अधीर हैं लेकिन चीज मंहगी होने से, कागज मंहगा होने से, अखबार वालों को वक्त पर कागज न मिलने से या जितना चाहिये उतना न मिलने से अखबार मंहगा हो जाता है और लोग ले नहीं पाते हैं। मेरी विनती यह है कि हिन्दुस्तान में जितने छोटे छोटे शहरों में या देहातों में चलने वाले अखबार हैं, जिन के पास प्रेस आदि की अच्छी सुविधा नहीं है, मशीन आदि अधिक नहीं हैं, उन के लिये ज्यादा से ज्यादा कोटा दिया जाये जिस से वह अपना काम ठीक से कर सकें। आज जो बड़े अखबार वाले हैं उन का थोड़ा ज्यादा सर्कुलेशन होने से जो फायदा होता है उतना मुनाफा छोटे अखबार वालों को नहीं होता। इसलिये छोटे अखबार निकालने के लिये उन को सरकार को ज्यादा कोटा देना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि शहर में अखबार की जो कीमत होती है वह पर कैपिटा .3242 रु० है अर्थात् मंहगी होती है अखबार वाले उस में से बचा लेते हैं लेकिन देहात में जो उस की कीमत आती है वह .0273 होती है अर्थात् कम होती है। जो लोग उन को देहातों में लेते हैं उनकी खर्च करने की ताकत कम होती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेस रजिस्ट्रार फार इंडिया का अप्वाइंटमेंट जो हुआ है वह प्रेस कमिशन की रिपोर्ट के अनुसार हुआ है। बड़ी अच्छी बात है। लोगों का भला करने के लिये, लोगों को सुविधा देने के लिये एक ऐसे अफसर की आवश्यकता है। लेकिन यह आफिसर इस रीति से न देखे कि अखबार वाले गलती करते है, वह झुठ बोलते हैं और कानून को तोड़ते हैं। अगर उनको देखना है तो इस दृष्टि से देखे कि उन लोगों को सपोर्ट करना है या मदद करना है। यह मेरी रिक्वेस्ट है जिसको प्रेस रजिस्ट्रार फार इण्डिया को अवश्य देखना चाहिये।

श्री दे० शि० पाटिल (यवतमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रेस एन्ट रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स बिल है इस का मैं हृदय से समर्थन करता हूं। जो उद्देश्य क्लाज 2, 3 और 4 में है उसका भी मैं समर्थन करता हूं।

अक्तूबर, 1952 में प्रेस कमिशन की नियुक्ति हुई थी और जून, 1954 में उन की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के अनुसार रजिस्ट्रार आफ न्यूजपेपर्स की नियुक्ति हुई हिन्दुस्तान में जो प्रेस हैं, जो बुक्स छापती हैं उन की इन्फार्मेशन और स्टेटिस्टिक्स को पूरा करने के लिये। इस के लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। अब तक जो एन्ट्री 3C– आर्टिकल 370 है उस के अनुसार रजिस्ट्रार जम्मू और काश्मीर को छोड़ कर बाकी इंडिया की सारी इन्फार्मेशन ले सकता था। लेकिन इस बिल से यह चीज खत्म हो रही है। इस बिल का क्लाज 2 जो है उस में लिखा है :

> "(2) Any reference in this Act to any law which is not in force in the State of Jammu and Kashmir shall, in relation to that State, be construed as a reference to the corresponding law in force in that State".

इस के लिये मैं धन्यवाद देता हूं। आज तक हमने जो जो बिल पास किये उन में **"ऐक्सेप्ट जम्मू एंड काश्मीर"** रहता था। लेकिन यह जो बिल है उस की मर्यादा को बढ़ाया गया है। जम्मू और काश्मीर राज्य में इन्फार्मेशन जमा करने का काम पहले जो डाइरेक्टर आफ इन्फार्मेशन हुआ करता था उस के जरिये स्टेट करती थी। अब इस कानून

के मुताबिक जैसे हम हिन्दुस्तान में इन्फार्मेशन एंड स्टेटिस्टिक्स जमा कर सकते हैं वैसे ही यहां भी कर सकेंगे। यही कारण है कि इस विधेयक का क्लाज 2 जो है उस का बड़ा महत्व है। जैसा मैंने आप को बतलाया इस में जो पहले "एक्सेप्ट जम्मू एंड काश्मीर" लिखा हुआ था उस का संशोधन करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। जो काम पहले जम्मू एंड काश्मीर गवर्नमेंट करती थी उसे अब रजिस्ट्रार आफ न्यूजपेपर्स करेगा। इसी दृष्टि से इंडिया की जो डेफिनिशन है उस को यहां संशोधित किया गया है। आप देखेंगे कि प्रिंसिपल ऐक्ट की जो धारा 22 है उस में संशोधन करने के लिये यह क्लाज 4 लाया गया है क्योंकि इंडिया की डेफिनिशन को ठीक करता है। क्लाज 4 में दिया है :

> "In section 22 of the principal Act, the words "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted."

इसलिये हमारा मूल कर्तव्य है, लोक सभा का कर्तव्य है कि चूंकि जम्मू और काश्मीर हिन्दुस्तान का अविभाज्य अंग है इसलिये मौजूदा कानून को हम जम्मू और काश्मीर पर भी लागू करें। चूंकि यह कानून न्यूज पेपर के बारे में इन्फार्मेशन एंड स्टेटिस्टिक्स जमा करने के लिये है इसलिये जम्मू और काश्मीर पर इस को लागू करने की सख्त जरूरत है। आज का समय कठिनाई का है। हम ने निर्धारित कर लिया है कि जम्मू और काश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है इसलिये बहुत आवश्यक है कि वहां पर यह सूचना इकट्ठी की जाये। आज हम बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं। आज हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हो रही है। जैसे हमारे जवान आज वहां पर आक्रमण के खिलाफ जी जान से काश्मीर की रक्षा कर रहे हैं उसी तरह से यह पार्लियामेंट का काम है कि जो भी कानून बनाये इस तरह से बनाये कि उस को जम्मू और काश्मीर पर भी लागू किया जाये। इस के लिये कांस्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 370 में जो भी संशोधन करने पड़ें उन को हमें करना चाहिये क्योंकि आज परिस्थिति बहुत गम्भीर है।

आज युद्ध विराम की हम बहुत गम्भीर बातें सुन रहे हैं। मैं आप की मार्फत गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि हम ने भारत की, जिस का जम्मू व काश्मीर राज्य अभिन्न अंग है, प्रभुसत्ता और अखंडता की रक्षा करने का दृढ़ निश्चय किया है। जिस प्रकार प्रभावशाली ढंग से जवानों से आक्रमण का उत्तर दिया जा रहा है उसी प्रकार राजनीतिक मोर्चे पर भी हम को कदम उठाना चाहिये। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आज लड़ाई थोपी है और हम ने यह निर्णय किया है कि हम अपने देश की एक इंच भूमि भी पाकिस्तान को देने के लिये तैयार नहीं हैं। इस निर्णय से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। जैसे काश्मीर का एक भाग जम्मू है उसी प्रकार से जम्मू और काश्मीर भारत का भाग है। यही कारण है कि यह कानून वहां पर भी लागू होना चाहिये।

अन्त में जो हमारे जवान साहस, बहादुरी और बलिदान की भावना से मोर्चे पर लड़ रहे हैं मैं उन को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन की विलक्षण वीरता की वजह ही हमारे अन्दर उत्साह आया है। यह उन को ही क्रेडिट है कि आज हिन्दुस्तान में सभी लोग एक आदमी की तरह से देश रक्षा के लिये उठ खड़े हुए हैं। जिस को वास्तविक एकता कहते हैं वह आ गई है और सब आदमी अपने भारत की रक्षा के लिये तैयार हो गये हैं। हर एक आदमी भारत सरकार के निर्णय के साथ है और ऐसा निश्चय कर रहा है कि जो हमारा निर्णय है उसे अवश्य पूरा करेंगे।

आखिर में मैं आपकी इजाजत से यह जो प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स अमेंडमेंट बिल आया है उसका हृदय से समर्थन करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके सभी क्लाजिज को जल्दी से जल्दी पास किया जाए।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : श्री पट्टाभि रमण ने अपने सुन्दर भाषण में इस

[श्री रघुनाथ सिंह]

बिल के उद्देश्य पर प्रकाश डाला है। उन्होंने इस बात को सदन में रखा है कि प्रेस का जहां तक सम्बन्ध है वह स्वतन्त्र होना चाहिए और उसमें सब के भाषण छपें। लेकिन अफसोस है कि पार्लियामेंट में जो भाषण हिन्दी में होते हैं उनको समाचार पत्र कम देते हैं और जो लोग अंग्रेजी में बोलते हैं उनके भाषण समाचार पत्र ज्यादी छापते हैं। यही नहीं, यदि आप हिन्दी में लोक सभा में भाषण करें तो आल इंडिया रेडियो में भी हिन्दी भाषण करने वालों का नाम कम दिया जाता है और अंग्रेजी में भाषण करने वालों का नाम अधिक दिया जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि न्यूज एजेंसीज को लोक सभा में और राज्य सभा में तथा असेम्बलीज में ऐसे लोगों को भेजना चाहिए जो वहां की भाषा को समझ सकते हों ताकि उन भाषाओं में बोलने वालों को समाचार पत्रों में समुचित स्थान प्राप्त हो सके।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि बहुत से समाचार पत्र ऐसे हैं जो अपने नाम की कमाई खा रहे हैं। भाषा में ऐसे पत्र बहुत ज्यादा है। जबकि कण्ट्रोल हुआ न्यूज प्रिंट पर उस वक्त का आंकड़ा देखा जाए कि कितना सरकुलेशन था और न्यूज प्रिंट पर कण्ट्रोल होने के बाद जो उनको लाइसेंस दिया गया उसके बाद से उनका सरकुलेशन कितना दिखाया गया है। आप देखेंगे कि जिनका सरकुलेशन पहले पांच हजार था बाद में बीस हजार और जिनका आठ हजार था उनका उससे भी ज्यादा दिखाया जाता है। आजकल अखबारी कागज का ब्लैक बहुत हो रहा है। बहुत से समाचार पत्र यह पेशा किए हैं। सरकार से कोटा प्राप्त करते हैं और लाइसेंस लेते हैं और जो न्यूज प्रिंट उनको मिलता है उसको सीधे ब्लैक में बेच देते हैं क्योंकि समाचार पत्र से उनको जो फायदा होगा उससे चौगुना फायदा न्यूजप्रिंट को ब्लैक में बेचने से होता है। सरकार ने दो तीन बार कोशिश की कि यह काम बन्द हो और पता लगाने के लिए इंसपेक्टरों को भेजा, लेकिन इंसपेक्टर खुद उसी में शामिल हो जाते हैं और कोई कण्ट्रोल नहीं होता। मेरा सुझाव है कि जिन समाचार पत्रों का यह पेशा है कि इस प्रकार न्यूजप्रिंट को बेचें, सरकार को उनके खिलाफ कारंवाई करने के लिए सेंट्रल इंटेलीजेंस विभाग की सेवाएं प्राप्त करनी चाहिए और जो वे रिपोर्ट दें उस पर विचार करके ऐसे समाचार पत्रों का, जो इस प्रकार न्यूजप्रिंट को बेचते हैं, कोटा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए।

जो समाचार पत्र विचारों का प्रकाशन करते हैं अगर वहीं इस प्रकार का भ्रष्टाचार होगा तो फिर और जगह भ्रष्टाचार कैसे रुक सकता है।

बहुत से समाचार पत्र भ्रष्ट साहित्य छापते हैं। ऐसा साहित्य छापते हैं कि कोई अच्छा आदमी उनके साहित्य को पढ़ना पसन्द नहीं करेगा। हम हिन्दुस्तान में ऐसा साहित्य चाहते हैं जो हम अपनी स्त्री, अपने बच्चों, अपनी पुत्री के सामने बैठ कर पढ़ सकें। अगर कोई ऐसा साहित्य है जिसको हम अपने बच्चे के साथ, अपनी स्त्री के साथ, अपनी माता के साथ बैठ कर नहीं पढ़ सकते, ऐसे साहित्य का सृजन हिन्दुस्तान में बन्द करना चाहिए।

बम्बई का एक अखबार है जिसका यह पेशा है कि वह एक सज्जन के खिलाफ कुछ न कुछ जरूर छापता है।

श्री शिंकरे (मारमागोआ) : इस अमेंडमेंट में उसकी कोई बात नहीं आती।

श्री रघुनाथ सिंह : It is pinching you now, I think.

बम्बई में एक पेपर है जो हमेशा मुरारजी देसाई के खिलाफ कुछ न कुछ लिखता रहता है। कुछ पत्रों का यह पेशा हो गया है, और

वह निष्पक्ष हो कर काम नहीं कर सकते। एसे पत्रों का कोटा बन्द कर देना चाहिए और सरकार को उनके ब्लैकमेलिंग के काम में कोटा देकर सहायक नहीं बनना चाहिए।

इसी तरह दिल्ली में एक पत्र है जो अश्लील साहित्य का सृजन करता है जिसको देख कर आंखें मूंद लेनी पड़ती हैं। ऐंसे समाचारपत्रों को कोटा नहीं देना चाहिए।

श्री हिम्मतसिंहका (गोंडा). और उसको फ्री भेजते हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : उसको फ्री भेजते हैं यह ठीक है।

इसके अलावा यह पता लगाया जाए कि जिन समाचारपत्रों को कोटा नहीं मिलता है वे कहां से कागज लाते हैं। बहुत से पत्र हैं, डाइरियां या पुस्तकें हैं; जिमको न्यूजप्रिंट पर छापा जाता है। उसके पास लाइसेंस नहीं होता। इस प्रकार की चीजें इस कागज पर छपना बन्द होना चाहिए।

मैं आपको एक उदाहरण दूं। आई पी सी की धारा 411 के अनुसार...

Mr. Deputy-Speaker: This is a Bill just to extend to Jammu and Kashmir. His observations have no relevance to the Bill.

श्री रघुनाथ सिंह : आई पी सी की धारा 411 के अनुसार अगर किसी के पास चोरी का सामान निकलता है तो उसको भी सजा दी जाती है। इसी प्रकार जो चोरी से न्यूजप्रिंट लेकर प्रकाशन करते है उनको भी सजा दी जानी चाहिए।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ समाचारपत्र फैक्ट्स को ट्विस्ट करके छापते हैं। उनका काम है कि अपने विचार व्यक्त करें, लेकिन फैक्ट्स को ट्विस्ट करके छापना उनका काम नहीं है। इस वास्ते मैं आशा करता हूं कि सूचना और प्रसारण विभाग इस पर ध्यान देगा कुछ लोग सरकार द्वारा न्यूजप्रिंट का लाइसेंस प्राप्त करके आज पूंजीपति बन रहे हैं। इस चीज को रुकना चाहिए।

श्री वाल्मीकी (खुरजा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रैस तथा पुस्तक रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं। आज की स्थिति में, जब काश्मीर की रक्षा को लेकर हमारे देश पर लड़ाई के बादल छाये हुए हैं और उस स्थिति के कारण संसार की शान्ति भी खतरे में है, ऐंसे समय में इस विधेयक का लाना बहुत उचित प्रतीत होता है।

मुझे इस अवसर पर एक शेर याद आता है :

> खींचो न कमानों को न तलवार निकालो,
> जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।

आज की स्थिति में हम इसे कुछ दूसरे रूप में कह सकते हैं, इसका एक और रूपान्तर हो सकता है अर्थात्

जब टैंक मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। आज काश्मीर पर जो पाकिस्तान ने बर्बर आक्रमण किया है उस युद्ध के अन्दर जो शूर-वीरता हमारे जवानों द्वारा प्रदर्शित की जा रही है, उस युद्ध को आज के ऐतिहासिक वातावरण में यदि टैंक तोड़क यु: कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। यह बात साफ जाहिर है कि तोप और टैंक में शक्ति होती है, सीमा की रक्षा के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन शत्रु पर प्रहार करने में अखबार की भी बड़ी शक्ति है। उसमें भी एक बड़ी शक्ति छिपी है।

प्रेस कमीशन की सिफारिश के अनुसार जो पेरैंट एक्ट है सन् 1867 का उसमें संशोधन लाया गया और उसकी दृष्टि से काश्मीर और जम्मू को छोड़ कर सारे देश पर वह कानून लागू होता है, और अब जो उसका अंब काश्मीर तक और जम्मू तक लागू किया

[श्री वाल्मीकी]

जा रहा है यह स्वाभाविक बात है। जहां तक काश्मीर का सम्बन्ध है, वह हमारा एक अभिन्न अंग है। हम उस की रक्षा के लिए खून की एक एक बूंद बहा सकते हैं और जो भी बड़ से बड़ा बलिदान हो सकता है, वह कर सकते हैं। हम उस के लिए तत्पर ही नहीं हैं, बल्कि अपने शीष कटा कर भी हम उस की रक्षा करेगें।

आज जहां युद्ध के क्षेत्र में हमारी सेनाओं के द्वारा सैन्य-बल और हथियारों के जरिये पाकिस्तान को मंह-तोड़ जवाब दिया जा रहा है, वहां हमारे समाचारपत्रों के द्वारा, विशेषकर दैनिक समाचारपत्रों के द्वारा, चाहे वे अंग्रेजी, हिन्दी या प्रादेशिक भाषाओं के हों, देश की एकता, दृढ़ता और राष्ट्रीय नीति को बल देने के लिए और विशेषकर हमारे देश की रक्षात्मक कार्यवाहियों को बलशाली बनाने के लिए जो शक्तिदायक कदम उठाया गया है, मैं उस की सराहना करता हूं।

प्रेस-स्वातंत्र्य में मेरा पूर्ण विश्वास है। प्रेस को स्वतंत्रता देनी चाहिए। उस के पीछे सांवैधानिक गारण्टी भी है और उस के बिना काम भी नहीं चलता है। लेकिन प्रेस को इतना शक्तिशाली न बनाया जाय, जिससे कि वह उस शक्ति का दुरुपयोग कर सके।

जहां तक हमारी न्यूज एजन्सीज का ताल्लुक है, हमारे मंत्रालय का उन पर कहां तक अधिकार है, इस बारे में मुझे सन्देह है। तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर न्यूज दी जाती है और बड़े अजीब ढंग से दी जाती हैं। पहाड़ का बिन्दु बन जाता है और बिन्दु का दरिया बन जाता है। इस तरह की पत्रकारिता को कोई सजीव और शक्तिशाली पत्रकारिता नहीं कह सकते हैं। विशेषकर आज की परिस्थिति में सरकार का उस पर नियंत्रण होना ही चाहिए।

जहां तक जम्मू कश्मीर का सम्बन्ध है, वहां पर प्रादेशिक भाषा, हिन्दी या अंग्रेजी के जो पत्र निकलते हैं, उन पर विशेषकर एक कड़ी निगाह रखनी चाहिए। इसी तरह जो पत्रकार, चाहे वे किसी भी भाषा के हों, देश-द्रोह को प्रकट करते हैं, दुश्मन के साथ साज-बाज करते हैं, दुश्मन की बात का समर्थन करते हैं, उन पर केवल नियंत्रण रखनें की ही आवश्यकता नहीं है, बल्कि देश की दंड-विधि के अनुसार उन को बड़े से बड़ा दंड भी दिया जाना चाहिए। देश की रक्षा के हित में उन को फांसी देने में भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। वहां पर जो पत्र या किताबें छाया होती हैं, सरकार को उन की तरफ़ पूरे तरीके से ध्यान रखना चाहिए।

इस मंत्रालय के अधीन एक विभाग विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं की कटिंग्ज रखता है। जो देश के साथ विद्रोह करने वाले लोग हैं, या घुसपैठिये हैं, या देश की बगल में बैठे हुए आस्तीन के सांप हैं, या देश के दुश्मन हैं, वे छोटे छोटे तमंचे जैसे अपने अख़बारों में जहर उगलते हैं। सारे देश में इस प्रकार के छोटे अख़बार जिला-दर-जिला और नगर-दर-नगर और गांवों तक में फैले हुए हैं। मैं बड़े बड़े दैनिक अख़बारों की निस्बत उन छोटे अख़बारों को ज्यादा जरूरी मानता हूं, क्योंकि वे बहुत मामूली लोगों के हाथों में जाते हैं। लेकिन उन अख़बारों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस विभाग की ओर से उन अख़बारों पर नियंत्रण किया जाये।

इस प्रकार के अख़बार बात का बतंगड़ बना देते हैं। मान लीजिए कि किसी खद्दर-धारी भाई की किसी दूसरे भाई के साथ जबानी झड़प हो गई, तो इस प्रकार के अख़बारों में यह ख़बर प्रकाशित की जाती है कि झड़प के साथ उन में हाथ-पैर की बात हो गई, जो यहां तक बढ़ी कि उस शख्स को मारा ही नहीं, बल्कि जूते की नोक पर उठा लिया। मैं नहीं समझता कि किसी बड़े आदमी को जूते की नोक

पर खड़ा किया जा सकता है। वह तरीका हो सकता है, लेकिन मैंने यह बताने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार इन अख़बारों में प्रकाशित ख़बरों से मन का मैल जाहिर होता है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि उन अख़बारों पर, और विशेषकर उन तमंचों पर, जो इधर उधर चलते हैं, जरूर निगाह रखी जाये।

यह ठीक है कि उन समाचारपत्रों की स्थिति और अस्तित्व को कायम रखना आवश्यक है और उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए, ताकि वे अपने मन की बात कह सकें। यकीनी तौर पर हमारे देश में पत्रकारिता का काम करने वाले भाई हमारी मंशा, देश की मंत्रणा और देश के जन-जन के मत को प्रदर्शित करते हैं, उस की प्रति-भावना के प्रतीक हैं, लेकिन उन की दृष्टि विशाल होनी चाहिए, उन के ख्याल ऊंचे होने चाहिएं और उन के मस्तिष्क अच्छे होने चाहिए।

मैं चाहता हूं कि हमारे समाचारपत्रों में छोटी और हीनतम बातें प्रकाशित न की जायें, लेकिन हमारे बड़े अख़बारों में भी चोरी, डकैती, लांछन और दुराचार के मामले प्रकाशित किये जाते हैं। अगर किसी बड़े आदमी के बारे में किसी प्रकार की अफवाह भी होती है, तो बड़े लम्बे-चौड़े हैडिंग के साथ उस को निकाला जाता है। हम को दुनिया के और अख़बारों को भी देखने का अवसर मिलता है। उन में इस प्रकार की हल्की और छोटी बातें नहीं निकलती हैं। पत्रकारिता में, चाहे वह छोटे पत्रों के आधार पर हो, अश्लीलता के लिए कोई गुंजायश और स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसे अश्लील अख़बार चलते हैं, जो कि यौन-क्रियाओं की बातें प्रदर्शित करते हैं, जिन का हमारे बच्चों के मस्तिष्क पर बड़ा गहरा और बुरा प्रभाव पड़ता है। सरकार को उस अश्लीलता को दूर करने के लिए विशेष प्रयत्न करने चाहिए।

आज जब कि हमारा देश एक संघर्ष की स्थिति में है, तो यह जरूरी है कि हमारे समाचारपत्रों में कोई भी इश्तआल-अंगेज बात, जजबात को उभारने वाली बात, किसी मजहब पर लांछन अथवा उत्तेजना की बात, किसी मत के प्रति दुर्भावना की बात प्रकाशित न की जा सके। इसी प्रकार गुरुओं, आदर्श-पुरुषों, पीर, पैगम्बर, औलिया, ऋषि-महर्षि पर जिन्होंने देश का ज्ञान देकर भला किया है, किसी प्रकार का हमला करने या उन को लांछित करने पर रोक लगाई जानी चाहिए। "सरिता" में भी इस प्रकर की प्रतिभावना निकलती है। मैं चाहता हूं कि सरकार उस पर नियंत्रण रखे। जो बातें विश्वास, श्रद्धा, सद्भावना, धर्म-धारा, विचार-धारा और दर्शन-पद्धति की हैं, किसी भी तरीके से ज़हर उगल कर उन पर आघात करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

काश्मीर में जो भी अख़बार निकलते हैं, उन में विचारों की अश्लीलता ही नहीं, बल्कि मानसिक दुर्भावना भी प्रकट करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हमारे अख़बारों को देश के मन्तव्य को, हमारे बलशाली कदम को, हमारे प्रधान मंत्री ने देश के इतिहास में जो एक वृहतर कदम उठाया है, उस को और देश की वृहतर विदेश-नीति और रक्षा-नीति को प्रदर्शित करने का प्रयत्न करना चाहिए—एक हल्के ढंग से नहीं, बल्कि एक अच्छे ढंग से उन को ज़ाहिर करने की कोशिश करनी चाहिए।

यह जरूर है कि हम अय्यूबशाही के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन हम पाकिस्तान की जनता के ख़िलाफ़ नहीं हैं। इसलिए हमारे अख़बारों को अय्यूबशाही को लांछित करना चाहिए। यह देश लोकतंत्र चाहता है। देश किसी भी प्रकार से तानाशाही का विश्वासी नहीं है। इसलिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी अख़बारों की आवश्यकता है।

मैं इस बात की ताईद करता हूं कि छोटे छोटे अख़बार अख़बारी काग़ज की चोर-बाज़ारी करते हैं। यह कोई अच्छा काम नहीं

[श्री वाल्मीकी]

है और सरकार को उस पर नियंत्रण करना चाहिए। इसे बन्द करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का जोरदार समर्थन करता हूं। मुझे आशा है कि प्रेस-अधिकारों के सम्बन्ध में एक अधिक व्यापक बिल आयेगा, जिस से देश को शक्ति मिलेगी और ऊंचे स्वस्थ विचारों को शक्ति मिलेगी। उससे देश के जन जागरण में एक प्रकार की सहायता पत्रकारों और पत्रकारिता के द्वारा मिलेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पुन: समर्थन करता हूं।

श्री बड़े (खारगोन) : अभी पूर्व वक्ता ने जो भाषण दिया और उस भाषण के दौरान जो विचार व्यक्त किये व समाचारपत्रों का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिये, उनकी नीति कैसी होनी चाहिये, इस पर व्यक्त किये। मैं इस विधेयक का समर्थन एक दूसरे ही दृष्टिकोण से कर रहा हूं। मैं प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स ऐक्ट 1867 में संशोधन करने वाला जो विधेयक है इसका समर्थन इसलिए कर रहा हूं कि प्रेस रजिस्ट्रार का अधिकार क्षेत्र अब जम्मू तथा काश्मीर तक भी बढ़ा दिया गया। जम्मू और काश्मीर हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। हम लोगों ने उसकी रक्षा करने के लिये महान बलिदान दिये हैं। मेरी पार्टी के स्वर्गीय डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने काश्मीर की खातिर अपना बलिदान दिया है। हमने हमेशा कहा है कि जम्मू व काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए आर्टिकल 370 जो कांस्टीट्यूशन का है, उसको निकाल दिया जाना चाहिये। इसके बारे में इस हाउस में काफी चर्चा हो चुकी है। शासन अब धीरे धीरे उस ओर कदम बढ़ा रहा है। अगर कोई शेर जंगल में घुस जाता है तो उसको बाहर निकालने के लिए हाका दिया जाता है, हल्ला किया जाता है और फिर वह बाहर निकलता है और उसको मारा जाता है, उसी प्रकार से शासन का हाका करना पड़ता है और तब वह कुछ करने को तैयार होता है। सारी अपोजीशन ने मिल कर इस शासन रूपी शेर की मुंडी बाहर निकाली है और उसी का यह फल है कि यह बिल यहां आया है और प्रेस रजिस्ट्रार का अधिकार क्षेत्र जम्मू तथा काश्मीर तक बढ़ाया गया है।

मैं वहां गया था और मैंने जाकर वहां जो स्थिति है, उसको देखा है। वहां के लोगों का और बाहर वालों का भी यह कहना है कि हमको कोटा बराबर नहीं मिलना है। मैंने देखा है कि प्लेबिसिट फ्रंट का अखबार निकलता है और उसकी काफी कापियां बिकती हैं। वह भारत विरोधी प्रचार करता है। उस पर बंदिश लगनी चाहिये थी। जो भी अखबार भारत विरोधी प्रचार करे उस पर पाबन्दी लगनी चाहिये। वह जो अखबार है वह जम्मू और काश्मीर में ही नहीं दिल्ली में भी बेचा जाता है। उसकी कापियां फ्री भी बांटी जाती हैं। पार्लिमेंट के मेम्बरों को वे फ्री आती हैं

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : आजकल नहीं आती हैं।

श्री बड़े : इस तरह के जो समाचारपत्र हैं उन पर नियंत्रण लागू किया जाना चाहिये। जब काश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है तो उसके खिलाफ किसी प्रकार के प्रचार की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिये। हमारे देश का अच्छा भाग्य है कि हमारे सैनिकों ने काफी पराक्रम काश्मीर और दूसरे मोर्चों पर दिखाये हैं। इस वक्त हमारी सेना सभी मोर्चों पर आगे बढ़ रही है। इस वक्त इन प्रयत्नों में सरकार का कोई भी विरोध नहीं करेगा। यह जो बिल आया है, इसका भी कोई विरोध नही करेगा, सभी इसका समर्थन करेंगे।

मैं इस सम्बन्ध में यह भी कहना चाहता हूं कि सभी अखबारों को एक सरीखा कोटा न्यूजप्रिंट का नहीं मिलता है । हजार बार इसकी चर्चा हो चुकी है । मैं चाहता हूं कि रजिस्ट्रार साहब को काश्मीर में जाकर देखना चाहिये कि वहां कौन से अच्छे पेपर चलते हैं और कौन से अच्छे नहीं चलते हैं और उसके आधार पर कोटा देना चाहिये था ।

एक माननीय सदस्य : देख कर आए हैं ।

श्री बड़े : मुझे मालूम नहीं क्या देख कर आए हैं । सारी चीज का अध्ययन करके ही उनको कोटा मिलना चाहिये । यों ही सब को वहां पर कोटा नहीं देते रहना चाहिए ।

भारत में भी कोटा सभी अखबारों को एक सरीखा नहीं मिलता है । अगर कोई समाचारपत्र कांग्रेस मिनिस्टर से सम्बन्धित होता है, उसको तो अधिक कोटा मिल जाता है और जिनका किसी मिनिस्टर से सम्बन्ध नहीं होता है, उनको कम मिलता है । मैं नाम नहीं बतलाना चाहता हूं क्योंकि नाम लेना यहां पाप है । मैं जानना चाहता हूं कि गोयनका के जो पेपर हैं उनको कितना कोटा मिलना है ? अंग्रेजी भाषा के पत्रों को कितना मिलता है और देशी भाषाओं के पत्रों को कितना मिलता है । छोटे छोटे स्थान जो हैं वहां पर हिन्दी और प्रान्तीय भाषाओं के ही ज्यादा अखबार चलते हैं, गांवों में वही अखबार ज्यादा चलते हैं । उनको कोटा नहीं मिलता है और अगर मिलता है तो बहुत कम । यह भी देखा गया है कि मराठी के जो पत्र हैं या हिन्दी के जो समाचारपत्र हैं उनको कोटा प्राप्त करने के लिए बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, आठ आठ दिन तक इधर उधर भागना पड़ता है । बड़ी मुश्किल से तब जाकर उनको कोटा मिल पाता है । लेकिन अगर किसी पेपर का किसी मिनिस्टर से सम्बन्ध हुआ, इंटक से सम्बन्ध हुआ, कांग्रेस से सम्बन्ध हुआ और कांग्रेस का वह ढोलक पीटता है तब उसको कोटा भी आसानी से और ज्यादा मिल जाता है और साथ-साथ एडवरटिजमेंट्स भी काफी मिल जाते हैं । वे ब्लैकमार्किट में भी न्यूजप्रिंट को बेच लेते हैं और उनको कोई पूछता नहीं है । कितनी कापीज का उनका सर्क्युलेशन है इसको भी बहुत कम देखा जाता है । इंदौर का मुझे मालूम है । वहां एक समाचारपत्र है "जागरण" । उसके खिलाफ इनक्वायरी चल रही है । किस बात के लिये चल रही है यह मुझे मालूम नहीं है । मैं समझता हूं कि अगर अंग्रेजी के पत्रों को कोटा न मिले या कम मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है । भारत में 80-90 प्रतिशत लोग जो समाचार पत्र पढ़ते हैं वे देशी भाषाओं के ही समाचारपत्र पढ़ते हैं । इन भाषाओं में हिन्दी भी आती है, मराठी भी आती है, गुजराती भी आती है, बंगला भी आती है तथा दूसरी भाषाएं भी आ जाती हैं । ऐसे जो समाचारपत्र हैं उनको ज्यादा कोटा मिलना चाहिये । आजकल गांव-गांव में लोग अखबार पढ़ने लग गये हैं, तांगे वाले अखबार पढ़ने लग गये हैं, रिक्शा वाले पढ़ने लग गये हैं, काश्तकार पढ़ने लग गये है और जिन भाषाओं में वे समाचार पत्र पढ़ते हैं उन भाषाओं के पत्रों को कोटा अधिक मिलना चाहिये । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय बतलायें कि पिछले साल और इस साल छोटे छोटे समाचारपत्रों को कितना कोटा मिला और कितनी उनके कोटे में वृद्धि की गई ।

जो बिल लाये हैं, उनके लिए मैं उनको बधाई देता हूं । ब्राडकास्टिग का भी आजकल बहुत महत्व है । वहां से भी अच्छे प्रोग्रोम प्रसारित होते हैं । फौजियों ने जो बहादुरी दखाई है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि देश के खातिर जिस काम का श्रीगणेश उन्होंने किया है, उसमें उनको शीघ्र ही सफलता मिलेगी

[श्री बड़े]

और उनका जो काम है, वह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा ।

श्री यशपाल सिंह : यह जो बिल मंत्री महोदय लाये हैं यह बहुत ही सुन्दर बिल है । काश्मीर की जनता जिस के लिए आज तक यह कहा जाता है कि प्लेबिसिट हो जाएगा तो पता नहीं क्या होगा, उसने आज जिस तरह से देशभक्ति और प्रेम के साथ हमारा साथ दिया है , हमारे सैनिकों की हौसला अफजाई की है, उसके लिए वह बधाई की पात्र है । जिस प्रकार से उसने हमारे सैनिकों की हौसला अफजाई की है, उसको कभी भी किसी कीमत पर भी नजर–अन्दाज नहीं किया जा सकता है । मैं चाहता हूं कि जिन अखबारों को कोटा दिया जाए उनको खासतौर पर यह हिदायत की जाए कि देश में किसी तरह का सम्प्रदायवाद वे न भड़कायें। हमारा भारत अटूट है, काश्मीर और भारत का चोली दामन का साथ है । जो लोग यह समझते हैं कि काश्मीर के लोग प्लेबिसिट में पाकिस्तान को वोट देंगे वे बड़ी भारी गलती पर हैं । आज भी साठ लाख पख्तुन ऐसे हैं, बादशाह खान हैं, सर–हदी गांधी हैं, खान अब्दूल गफ्फार खां हैं, जिनका आप के पेपर्ज में जिक्र नहीं आता है लेकिन वे आज भी भारत की अखंडता के लिए हिमालय पहाड़ की तरह से खड़े हुए हैं । यह जो पालिटिक्स में कर रहे हैं उस पालिटिक्स में आज उनकी रोशनी का होना बड़ा जरूरी अंग है। भारत की उन्नति के लिए यह सबसे ज्यादा जरूरी है । मैं बादशाह खां को अच्छी तरह से जानता हूं । उनके साथ मैं तीन साल जेल में रहा हूं । उनकी देश भक्ति आज भी बेमिसाल है, लासानी है । हम में से कोई उनके मुकाबले में दूसरी मिसाल पेश नहीं कर सकता है । हिमालय पहाड़ की तरह से आज भी एक शख्स डटा खड़ा है। अब हम अखबारों को कोटा देते हैं तो बहुत सी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिये । मुझे पता नहीं था कि यह बिल आज आएगा वर्ना मैं आपको दिखलाने के लिए फोटो लाता जिनसे यह पता चलता कि हिन्दुस्तान में ऐसे अखबार भी निकलते हैं जिनमें बराबर-बराबर दो आदमियों के फोटो छापे जाते हैं, एक तरफ गांधी जी का फोटो है और उसके दूसरे तरफ ही नाथु राम गोडसे का है और पेपर में दोनों की प्रशस्ति की गई है, कंचन और कांच को एक ही तराजू पर तोला गया है । इस तरह के पेपर्ज को बन्द किया जाना चाहिये । अगर कोई पेपर इस तरह के हैं कि वे जरा भी सम्प्रदायवाद की आग भड़काते हैं और किसी भी कारण से साम्प्रदायिक झगड़े भड़क उठते हैं तो पाकिस्तान कामयाब हो जाता है । पाकिस्तान की कोशिशें तभी पामाल हो सकेंगी जब 45 करोड़ इन्सान भारत माता के बेटी बेटों की तरह खड़े होंगे और एक हो कर दुश्मन के मुकाबले में लड़ेंगे ।

मैं साफ कहना चाहता हूं कि यह प्रेस की ड्यूटी है, हमारे ब्राडकास्टिंग के जो मिनिस्टर हैं, उनकी ड्यूटी है कि भारत के अन्दर किसी तरह की भीरुता न आए । एक करोड़ या दो करोड़ इन्सान अभी नहीं मरे हैं, पांच सात शहरों का भी सफाया नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम अखबारों में पढ़ते हैं सीज फायर, सीज फायर । सीज फायर का क्या मतलब है ।

सुखिनः क्षत्रियाः पार्थलभन्ते युद्धमीदृशिम्

सीज फायर के कोई मानी नहीं है जब तक काश्मीर का फैसला नहीं हो जाता है, भारत की अखंडता का फैसला नहीं हो जाता है । तब तक इस तरह का नाम लेना भीरुता प्रदर्शित करता है । कायरता प्रदर्शित करता है । यह भारत की भूमि है । हमें सबसे पहले यही सिखलाया जाता है कि अपने देश और अपने धर्म की रक्षा के लिए प्राण जो देते हैं व सीधे स्वर्ग को जाते हैं । हमारे वेद का भी बुनियादी बसूल यही है

मम पुत्राः शत्रुहणोऽथ दुहितामेविराट्

अग्नि के ऊपर बैठकर हम यह प्रतिज्ञा करते हैं, पुरुष और प्रकृति यह प्रतिज्ञा करते हैं, यह बल लेते हैं कि हम ऐसी संतान पैदा करेंगे जो दुश्मन का मूंह मोड़ दें, दुश्मन का दांत निकाल ले। जब यह बात है तो कोई मतलब नहीं है भीरुता का। युद्ध होगा तो देश बचेगा। युद्ध के बगैर देश नहीं बच सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को लाने के लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उनको मुबारिकबाद पेश करता हूं। भारत की, काश्मीर की अखंडता के लिए जिस कोशिश की जरूरत है, वह आप करेंगे, यह आप से पूरी आशा है।

श्री हुकमचन्द कछवाय (देवास) : उपाध्यक्ष महोदय, यह कानून जो काश्मीर में लागू किया जा रहा है उस का मैं स्वागत करता हूं। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जितने समाचार पत्र निकलते है देशी भाषाओं के, जो कि देशभक्ति के समाचारपत्र हैं उनको कितना कोटा दिया जाता है, यह हमारे सामने एक विचारणीय प्रश्न है। साथ ही हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारे मंत्रियों द्वारा या मंत्रियों के आदमियों द्वारा जो समाचार पत्र चलाये जाते हैं उनको कितना कोटा मिलता है, यह कितना पेपर बचाते हैं और कितने पेपर निकालते हैं और कितना ब्लेक मार्किट में बचते हैं। अगर आप चाहे तो कितने ही केसेज पकड़ सकते हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो देसभक्ति के समाचार पत्र हैं उनको पर्याप्त मात्रा में कागज का कोटा दिया जाये क्योंकि आज उनकी आवश्यकता ज्यादा है।

जो समाचार पत्र ऐसे हैं जो गन्दी बातें छापते हैं, जो अश्लील चित्र छापते हैं, जैसे कि एक साप्ताहिक 'आम्बदर' है जिस के बारे में माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि वह कठोर कदम उठाने वाले हैं, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने उस के विरोध में कौन सा कठोर कदम उठाया है। वह प्रश्न दो तीन बार यहां पर आ चुका है। उस के खिलाफ सरकार ने क्या कानूनी कार्रवाई की है, कौन सा उसे दंड दिया है, कौनसा मुकदमा चलाया है जिसके कारण वह समाचार-पत्र छापना बन्द हुआ हो या उसमें कोई परिवर्तन हुआ हो। इसी तरह से एक साप्ताहिक 'ब्लिट्ज' है। उस में पता नहीं किन किन बातों को लेकर कीचड़ उछाला जाता है। उन का कोई साप्ताहिक ऐसा नहीं छपता जिस में कोई अश्लील चित्र न हो। जिस प्रकार से नमक के बिना भोजन अच्छा नहीं बनता उसी प्रकार से 'ब्लिट्ज' का हाल है कि जब तक उसमें कोई नंगा चित्र नहीं होगा तब तक वह छपेगा नहीं। हर साप्ताहिक में नगा चित्र आया करता है। चाहे हम इधर उधर की बातें करें लेकिन लोगों के चरित्र खराब होने का खास कारण यह है कि अखबारों में अश्लील चित्र छापते हैं, सिनेमा पोस्टर छपते हैं और दीवारों पर चिपकाये जाते हैं। उन का असर किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों के चरित्र पर पड़ता है, क्या कभी मंत्री महोदय ने इस बात पर विचार किया है। क्या कभी उन्होंने गम्भीरता से इस बात को सोचा है कि यह जो नंगा चित्र छपते हैं या समाचार पत्रों में सिनेमा के एडवर्टाईजमेन्ट आते हैं उन से क्या हानि होती है। समाचारपत्रों में जो नंगे चित्र छपते हैं क्या सरकार ने उनके विरुद्ध कोई कठोर कदम उठाया है या छोटी छोटी पुस्तकें छपती हैं जिन में कि अश्लील चित्र और गाने होते हैं उन के बारे में कभी सरकार ने विचार किया है कि उनको नहीं छपना चाहिये। क्या कभी सरकार ने सोचा है कि जो मासिक या साप्ताहिक छपते हैं या जो विदेशों से समाचारपत्रों या पुस्तकें बिकने के लिये आती हैं उनका क्या असर पड़ता है लोगों के चरित्र पर।

[श्री हुकम चन्द कछवाय]

मैं कहना चाहता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि जब हमारी लड़ाई चल रही है पाकिस्तान से तो समाचारपत्रों में वीरों के चित्र छपे । हमें उन सामाचारपत्रों को ज्यादा कोटा देना चाहिये जो कि अधिकतर माहाराणा प्रताप और शिवाजी की कहानियां छापते हैं, उन के जीवन चरित्र छापते हैं, जिनकी कहानियां पढ़ कर हमारी आत्मा ऊपर उठती है, हम में देश भक्ति पैदा होती है । हमें ऐसे समाचारपत्रों को ज्यादा कोटा देना चाहिये । लेकिन होता इसका उल्टा है । ज्यादा कागज का कोटा उन लोगों को दिया जाता है जो उसको चोरबाजार के अन्दर बेचते हैं और जिन पर बड़े बड़े लोगों का असर है । आज सरकारी विज्ञापन उन अखबारों को नहीं दिये जाते तो सरकार के खिलाफ लिखते हैं । मैं कहता हूं कि सरकार में जो बुराई हो उसे सामने आना चाहिये क्योंकि प्रजातन्त्र में सरकार में क्या कमी है इस को हमें बतलाना होगा । अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो प्रजातन्त्र नही रहेगा । हिन्दी के समाचारपत्रों का भी हक है कि सरकार में जो त्रुटि हों उस को बतलाय । यह तो इसी लिये कहा जाता है कि उस को सरकार दूर करे ।

मैं इतना ही कह कर समाप्त करना चाहता हूं कि सरकार बड़ी सावधानी के साथ ऐसे समाचारपत्रों पर प्रतिबन्ध लगाये जो सदा अश्लील बातें लिखते हैं और भद्दी तस्वीरें छापते है । जो अच्छे समाचारपत्र हैं उन को सरकार को ज्यादा एक कोटा देना चाहिये ।

Shri Sham Lal Saraf (Jammu and Kashmir): Sir, I welcome this Bill, which has come before the House not a day too soon. I would like to bring to the attention of the hon. minister how the Press affairs are being conducted in that State not only now, but before also. I have been part of the Kashmir Government for many years. The papers which write in my favour, I would support them. Papers which criticise me, I will not allow to exist. When the Home Minister visited Kashmir and also before him when the Diwakar Committee visited Kashmir, I was given a long interview and I gave evidence before them. Three things I placed before them. Firstly as my hon. friend pointed out, papers which all these years have been cent per cent pro-India have stopped publication. Lists of such papers have been given to the Home Minister some months back. It was also promised by him that these papers will be allowed to exist. But to this day, they have not resumed publication. This may be looked into.

Secondly, papers which from he very beginning have been against our policy of accession, against the Indian stand on Kashmir, were allowed publication even till the last day. Why is it so? I do not want any enquiry to be held into that, but our Information and Broadcasting Minister may look into that. If these publications were not there, if such objectionable things had not been allowed to be written in Kashmir, perhaps Pakistan might not have dared to take such heinous steps which she has taken in the last few months. These publications encouraged Pakistan. I will not absolve the Central Government also from this. How did they permit individuals to come out of jails and speak things which have shaken the very basis of India and the secular approach in which we believe? Keeping that in view, henceforth will the hon. minister kindly see to it that this Bill is strictly implemented there? No individual, no party, should be allowed to speak or write a word which goes against the very basis of our secular democracy.

With these words, I wholeheartedly welcome the extension of this Act to Jammu and Kashmir. This is really a

step in the right direction. I would respectfully submit that these things which I have pointed out may kindly be gone into. I could have given the names of the papers, but I do not want to do so, because the Home Minister knows the names. About the papers which have created a very bad atmosphere there, he must take a very firm stand against them.

With these words, I support the Lill.

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रैस बिल जो संशोधन के रूप में आया है यह अच्छा ही हुआ। इस तरह से हम काश्मीर को पूरी तरह से अपने में ले रहे हैं। लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अपने देश में आज पत्रकारिता कुछ आदमियों के हाथ की सम्पत्ति बन गई है। इस पर गवर्नमेन्ट को ध्यान देना होगा। अभी गवर्नमेंट ने एक महालोनोबीस कमेटी बनाई थी यह देखने के लिये धन का संग्रह किस तरह हुआ है। और उसका बटवारा किस तरह हुआ है। यह रिपोर्ट आते आते नहीं आई। अभी इस कमिशन की रिपोर्ट में हमने देखा कि एक चेन आफ ग्रुप्स पत्रों की है वह कुछ घरों की सम्पत्ति हो गये हैं और आज जो शिकायत हैं इधर उधर की वह इसलिये है कि पत्रकारिता भी निजी सम्पति की वस्तु हो गई है। वह स्वतन्त्र नहीं रह गई है। अब गवर्नमेन्ट इस पर ध्यान देगी, अब ख्याल करेगी कि पत्रकारिता बिड़ला, टाटा, साहू जैन के हाथ में न रहे। बल्कि पत्रकारिता उन लोगों के हाथ में रहे जो देश को स्वतन्त्र रूप से अपनी राय दे सके। कमेटी की रिपोर्ट में इन समाचारपत्रों की चेन्स दी गयी हैं। वे इस प्रकार हैं :

(1) एक चेन है एक्सप्रेस न्यूज़-पेपर्स की जिसका सरकुलेशन 8,62,205 है।

(2) दूसरी चेन है बैनेट कालमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड की, जिसका सरकुलेशन 6,89,055 है।

(3) तीसरी चेन है बिड़ला साहब की जिसका सरकुलेशन 2, 62, 319 है, और

(4) चौथी चेन है अमृत बाजार पत्रिका की जिसका सरकुलेशन 1, 88, 910 है।

इस तरह से कुल पत्र हमारे देश में चार पांच समुदाय के अन्दर आ जाते हैं और सारे देश की आवाज उन के हाथ में बंधी हुई है, वे जिधर चाहे देश की राय बदल सकते हैं। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पत्र स्वतन्त्र हों। हमारे देश में पत्रों को फोर्थ स्टेट कहा जाता है जब तक उनकी स्वतन्त्रता नहीं होगी तब तक देश को लाभ नहीं हो सकता है।

बहुत दिनों से देश में चर्चा थी कि समाचार पत्रों का दाम पृष्ठों के अनुसार हों। आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोग काफी पत्रों के पत्र निकालते है और उनको कम दाम में बेचते हैं, जिसके कारण उनके मुकाबले में छोटे पत्र नहीं चल सकते हैं। सदन में यह आवाज उठायी गयी कि इसके लिये बिल आवे लेकिन शायद कुछ बड़े लोगों के प्रभाव के कारण यह बिल नही आया। प्रेस कमेटी बनी, उसने रिपोर्ट दी। यह सब होते हुए भी आज तक वही चल रहा है। हमारा अनुरोध है कि इस पर भी विचार किया जाए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो आज देश मे पत्रों में नग्न तस्वीरें निकाली जाती हैं इनको बन्द करना चाहिए। बिनोबा जी ने, जो गांधी जी के निकट के सहयोगी रह चुके है, उन्होंने भी इस ओर सरकार का ध्यान दिलाया कि ऐसे चित्र जो पत्रों में निकलते हैं वे बन्द हों। पत्रों में बुरे चित्रों निकालने से लोगों पर बुरा असर होता है। आज आवश्यकता है कि पत्रों मे हमारे वीरों के चित्र निकलें जिससे लोगों में वीरता की

[श्री सिहासन सिह]

भावना पैदा हो । मुझे खुशी है कि हमारे समाचार पत्रों में हाल में उन लोगों के चित्र निकले हैं जिनको युद्ध में वीरता के लिए महावीर चक्र आदि प्रदान किए गए हैं । ऐसे चित्रों से लोगों के मन में वीरता के भाव पैदा होते हैं। तो इस ओर भी सरकार ध्यान दे ।

यह बिल बहुत छोटा है, लेकिन जितना है वह स्वागत योग्य है । समाचारपत्रों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है । इस पर सरकार को काफी ध्यान देना चाहिए । आज पत्रकारिता केवल कुछ घरों में सीमीत हो गयी है यह चीज रुकनी चाहिए । जब तक यह नहीं रुकेगी तब तक हमारे देश में पत्रकारिता का सही मानों में विकास नहीं हो पाएगा । पंडित जवाहरलाल नेहरू बराबर यह कहते रहे हैं कि हमारे देश में सोशलिस्ट व्यवस्था तब तक नहीं लागू हो सकती जब तक कि पत्रों में केवल कुछ घरों के हाथों में रहगे और वह देश की राय को कंट्रोल करते रहेंगे । इसके बारे में भूवनेश्वर में भी प्रस्ताव पास हुआ । पर अभी तक इस दिशा में कुछ किया नहीं गया है । इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

Shri C. R. Pattabhi Raman: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am much obliged to all hon. Members, from both sides of the House, who have welcomed this Bill. Sir, I do not want to take much time of the House. I have already pointed out how we have dealt with the definition of India. I have also explained about Jammu and Kashmir and the other points raised by hon. Members. Sir, I commend the motion to the House.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

> "That the Bill further to amend the Press and Registration of Books Act, 1867, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Mr. Deputy-Speaker: We shall take up the Bill clause by clause. There are no amendments. The question is:

> "That clauses 2 to 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

Shri C. R. Pattabhi Raman: Sir, I beg to move:

> "That the Bill be passed."

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

> "That the Bill be passed."

The motion was adopted.

14.55 hrs.

*LUXURY HOTELS IN INIDA

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I raise this discussion on the answers given on the 24th August, 1965 to *Starred Question No.* 157 regarding luxury hotels in India. This question *primarily concerned the collaboration that was proposed to be entered into with Hilton Hotels Corporation in USA.* It seems that they have submitted a proposal to the Government of India. The main terms of the proposal seem to be: that the lease is for 25 years and it can be renewed which means that it will automatically go to 50 years; that the management is entirely in the hands of

---

*Half-An-Hour Discussion.